

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 7(45)डीएमई/एकेड/2017

जयपुर, दिनांक : 25/04/2022

आदेश

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के परिपत्र दिनांक 04.03.2022 के अनुसार चिकित्सा महाविद्यालयों की कुल अनुमत सीटों के अधिकतम 7.5 प्रतिशत की सीमा तक उक्त परिपत्र में उल्लेखित शर्तों को पूर्ण करने वाले Foreign Medical Graduates से इण्टर्नशिप की निर्धारित फीस न लेने व राशि रू 14,000/- Plus DA स्टाइपेण्ड दिए जाने के आदेश एतद्वारा जारी किये जाते हैं।

उक्त आदेश विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त आदेशों के अतिक्रमण जारी किया जाता है।

यह आदेश वित्त विभाग की आईडी संख्या 152200432 दिनांक 21.04.2022 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है।

आज्ञा से

(इकबाल खान)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. प्रधान महालेखाकार, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा-1), राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. उप सचिव (यूजी मेडिकल एज्युकेशन बोर्ड), राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली।
7. शासन संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-1/बजट/आयोजना) विभाग।
8. आयुक्त, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
9. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल काउन्सिल, जयपुर।
11. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, समस्त राजकीय मेडिकल कालेज।
12. प्रधानाचार्य, समस्त राज-मेस संचालित मेडिकल कॉलेज।
13. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
14. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
15. वित्तीय सलाहकार, समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेज।
16. संयुक्त निदेशक (आयोजना), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
17. नोडल ऑफिसर, वेबसाइट, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
18. जन संपर्क अधिकारी, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
19. रक्षित पत्रावली।

25/4/22
(अशोक कुमार सोनी)
शासन उप सचिव